न्यायालय : अनन्य वि ोश न्यायाधी ा, उत्पाद (प्रथम), समस्तीपुर, बिहार

ए0बी0पी0 नं0—1389/2026
चकमेहसी थाना कांड सं0—125/2022
आदित्य कुमार .... आवेदक
बनाम
बिहार सरकार .... विपक्षी।

उपस्थित:बसंत कुमार
वि ोश न्यायाधी ा, उत्पाद (प्रथम)
आदे ा दिनांक 01.07.2026

आवेदक अभियुक्त **1. आदित्य कुमार** की ओर से चकमेहसी थाना कांड सं0—125/2022, अंतर्गत धारा—30(ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम—2018 के प्रसंग में गिरफ्तारी के भय से अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किए हैं जिसकी प्रति विद्वान अभियोजन पक्ष को दी गई है। अभिलेख प्रस्तुत किया गया। वाद पुकारा गया। उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। कांड दैनिकी अप्राप्त है।

जमानत के बिन्दु पर आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री मो0 खलील अहमद का कथन है कि आवेदक निर्दोष है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह अपनी मोटरसाइकिल दिनांक 20.12.2019 को दीपक कुमार को बेच दिया और दीपक कुमार नाम स्थानांतरण नहीं करवाया। आवेदक इंजीनियरिंग कर भोपाल में प्राइवेट नौकरी करता है। वह घटनातिथि को समस्तीपुर में नहीं था। उसे पुलिस से गिरफ्तारी का भय है। वह अग्रिम जमानत के शर्तों को मानने के लिए तैयार है। उसके फरार होने की संभावना नहीं है। अतः अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए।

राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा आवेदक की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कथन किया गया कि बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा—76(2) के अंतर्गत अग्रिम जमानत आवेदन पोषणीय नहीं है। अतः अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जाए।

उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद प्राथमिकी सूचक मो0 अली, स.अ.नि. के टंकित आवेदन के आधार पर वाहन मोटरसाइकिल रजि0 नं0—एमपी04क्यूएस—4969 के स्वामी एवं अन्य के विरुद्ध चकमेहसी थाना कांड सं0—125/2022, दिनांक 08.07.2022, धारा—30(ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम—2018 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

प्राथमिकी सारांश यह है कि ''सूचक घटनातिथि को रात्रि गश्ती के दौरान पुलिस बल के साथ 23:50 बजे सैदपुर चौक पर पहुंचे तो गुप्त सूचना मिली कि भट्ठी चौक सड़क किनारे खड़ी पिकअप पर शराब लदा है। सूचना का

सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु घटनास्थल पर पहुंचने पर चार लोग भागने लगे जिसे बल के सहयोग से पकड़ने का प्रयास किया गया। परंतु रात्रि के कारण

01.07.2026 वे भागने में सफल हो गए। तलाशी नियमों का पालन करते हुए कथित वाहन पिकअप रजि नं0—बीआर06जीई—5383 एवं पल्सर मोटरसाइकिल रजि0 नं0—एमपी04क्यूएस—4969 पर से कुल मात्रा 917.7 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब को विधिवत जप्ती सूची बनाकर जप्त किया गया।

प्राथमिकी में वाहन पल्सर मोटरसाइकिल रजि0 नं0—एमपी04क्यूएस—4969 के स्वामी को अभियुक्त बनाया गया है। आवेदक कथित वाहन के पंजीकृत स्वामी हैं। उसके मोटरसाइकिल पर से अवैध विदेशी शराब की बरामदगी है। जिसकी जप्ती सूची अभिलेख पर उपलब्ध है। बिहार में पूर्ण शराब—बंदी है। बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा—76(2) के अंतर्गत अग्रिम जमानत आवेदन पोषणीय नहीं है। वाद अनुसंधान की स्थिति में है।

उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायोचित नहीं प्रतीत होता है। अतएव अभियुक्त **1. आदित्य कुमार** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

लेखापित

विशेष न्याया0, उत्पाद (प्रथम),
समस्तीपुर